उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 अंक 15 1-15 अगस्त 2026 ₹ 20/-

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच संयुक्त रक्षा समझौता

- 'जेन-जी' पर संघ प्रमुख के बयान पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया
- बलूचों द्वारा पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार
- स्पेन में हजारों अफ्रीकी मुसलमानों की घुसपैठ
- न्यायिक आयोग ने संभल हिंसा को माना पूर्व-नियोजित साजिश

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

न्यायिक आयोग ने संभल हिंसा को माना पूर्व-नियोजित साजिश 04
'जेन-जी' पर संघ प्रमुख के बयान पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया 07
मदरसों को 'आतंकवाद की फैक्ट्री' कहे जाने पर विवाद 10
धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्रवाई करने से इनकार 12
यूसीसी लागू होने तक मुसलमानों को बहुविवाह का अधिकार 14

विश्व

स्पेन में हजारों अफ्रीकी मुसलमानों की घुसपैठ 17
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत दौरा स्थगित 19
बांग्लादेश से तीन लाख रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार वापसी 21
बलूचों द्वारा पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार 22
पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 606 की मौत 24

पश्चिम एशिया

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच संयुक्त रक्षा समझौता 25
तुर्किये संसद में कुर्द विद्रोहियों के निःशस्त्रीकरण का कानून पारित 29
ईरानी सेना का पुनर्गठन 30
लेबनान में मौत की सजा खत्म 31
उमराह यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि 32

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग ने दो वर्ष पूर्व संभल में हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल हिंसा कोई अचानक भड़की घटना नहीं थी, बल्कि एक पूर्व-नियोजित साजिश थी, जिसके पीछे समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं का हाथ था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि हिंसा के दौरान मारे गए चार युवकों की मौत पुलिस की गोलीबारी से नहीं, बल्कि दंगाइयों द्वारा चलाई गई गोलियों से हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क और जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने मुस्लिम समुदाय को उकसाने के लिए यह भ्रामक प्रचार किया कि सरकार उनसे मस्जिद छीनना चाहती है, जिसके कारण ही सर्वे टीम पर हमले की साजिश रची गई थी।

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो हिंदू युवतियों के धर्मांतरण मामले में एक बेहद चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि इन दोनों बालिग बहनों ने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम अपनाया है और उनके पिता ने उन्हें जबरन अवैध हिरासत में रखा हुआ था। अदालत ने इन दोनों बहनों को पिता के नियंत्रण से तुरंत मुक्त करने का आदेश दिया है और युवतियों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। यह मुआवजा राशि उत्तर प्रदेश सरकार और उनके पिता द्वारा दी जाएगी। दूसरी ओर, इन दोनों युवतियों के पिता द्वारा पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने शादी का झांसा देकर उनकी बेटियों का जबरन इस्लाम में धर्मांतरण करवाया है। पिता का कहना था कि इस मामले में अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने युवतियों के बालिग होने के कारण पिता के इस दावे को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पुलिस को इस मुकदमे की कानूनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है।

स्पेन में अवैध घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को लेकर यूरोपीय यूनियन के देशों में चिंता व्याप्त हो गई है। यूरोपीय यूनियन के कुछ सदस्य देशों ने स्पेन से लगने वाली अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है ताकि स्पेन में प्रवेश कर चुके घुसपैठिए उनके देशों में घुसपैठ न कर सकें। हाल ही में मोरक्को और अन्य अफ्रीकी देशों से 72 हजार से अधिक घुसपैठियों ने स्पेन के स्यूटा क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश किया था। इस विस्फोटक स्थिति को देखते हुए स्पेन सरकार को सीमा पर नियंत्रण बहाल करने के लिए सेना की टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा और प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन कदम उठाने पड़े। विश्लेषकों के अनुसार इस अचानक अवैध घुसपैठ के पीछे दो प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला है, जिसके तहत देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। दूसरा और सबसे बड़ा कारण स्पेन सरकार का वह हालिया फैसला है, जिसके तहत देश में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लगभग पांच लाख विदेशी नागरिकों को कानूनी दर्जा देने और उन्हें काम करने का अधिकार देने की योजना बनाई गई है। कहा जाता है कि स्पेन सरकार का यह फैसला भी इस अचानक बढ़ी घुसपैठ का एक प्रमुख कारण बना।

सऊदी अरब के मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते की घोषणा की गई है। इस समझौते को 'मक्का रक्षा समझौता' का नाम दिया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि इस त्रिपक्षीय समझौते को अमेरिका का भी परोक्ष समर्थन प्राप्त है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसका खुले तौर पर स्वागत किया है। भविष्य में इस समझौते में मिस्र सहित कई अन्य मुस्लिम देशों के भी शामिल होने की संभावना है। इस समझौते में यह प्रावधान है कि अगर कोई देश इन तीनों सदस्य देशों में से किसी एक पर भी हमला करता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और इस हमले का जवाब तीनों देश संयुक्त रूप से देंगे। इस रक्षा समझौते से विशेष रूप से भारत और इजरायल में चिंता व्यक्त की जा रही है।

राष्ट्रीय

न्यायिक आयोग ने संभल हिंसा को माना पूर्व–नियोजित साजिश

इंकलाब (6 अगस्त) के अनुसार संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि यह एक पूर्वनियोजित साजिश का नतीजा थी। रिपोर्ट के अनुसार संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के संबंध में मुस्लिम समुदाय में गलत अफवाहें फैलाई गईं, जिसके कारण भीड़ उग्र हो गई। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद पथराव, गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं हुईं।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के नेता और संभल से सांसद जिया उर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल, जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जफर अली, सचिव मशहूद अली फारूकी, उपाध्यक्ष लड्डन खान और अधिवक्ता कासिम जमाल समेत मस्जिद प्रबंधन समिति के अन्य सदस्यों ने मुस्लिम समुदाय में उत्तेजना फैलाने में विशेष भूमिका निभाई। इन लोगों ने अदालत के आदेश पर होने वाले सर्वे को रोकने का प्रयास किया और अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए मुस्लिम समुदाय को हिंसा के लिए प्रेरित किया।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 22 नवंबर 2024 को जुमे की नमाज के बाद सांसद जिया उर रहमान बर्क ने मस्जिद के पास एकत्रित भीड़ को संबोधित करते हुए उत्तेजक भाषण दिए थे। उनका भाषण सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिससे आम मुसलमानों में यह माहौल बना कि सरकार मस्जिद पर कब्जा कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 नवंबर की सुबह बड़ी संख्या में लोग हथियारों और पत्थरों के साथ जामा मस्जिद के आसपास एकत्रित हुए। उनका उद्देश्य सर्वे को रोकना और पुलिस–प्रशासन पर हमला करना था। हिंसा के दौरान पुलिस–प्रशासन पर पथराव, गोलीबारी की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना में 28

पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें सात को गोली लगी। उत्तेजक भीड़ ने पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश की।

न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है इस हिंसा में जो चार लोग मारे गए हैं, उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। आयोग ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने संयम और सतर्कता के साथ स्थिति को संभाला। भीड़ को हिंदू बहुल इलाकों तक नहीं पहुंचने दिया गया, जिससे व्यापक सांप्रदायिक दंगा फैलने से बच गया। अगर भीड़ हिंदू बहुल इलाकों तक पहुंच जाती तो स्थिति भयानक हो सकती थी।

गौरतलब है कि 28 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। इसमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन को सदस्य बनाया गया था। आयोग ने 199 गवाहों के बयान लिए। इसके अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो, दस्तावेज और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में संभल में इतिहास में हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि का भी विवरण दिया गया है। आयोग ने सिफारिश की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अदालती निर्देशों का पालन अनिवार्य बनाया जाए और कानून को भीड़ द्वारा चुनौती देने की अनुमति न दी जाए।

उल्लेखनीय है कि संभल दंगों के सिलसिले में दो एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें जिया उर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल समेत 2750 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 18 जून 2025 को एसआईटी द्वारा 1128 पृष्ठों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट में सांसद बर्क समेत 23 लोगों को नामजद किया गया था, जबकि सोहेल इकबाल का नाम इस जार्चशीट में शामिल नहीं था। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने यह दावा किया है कि संभल हिंसा से संबंधित आयोग की रिपोर्ट सरकार को बहुत पहले ही सौंप दी गई थी, लेकिन अब इसे आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनाने के इरादे से सदन में पेश किया गया है। उन्होंने इस रिपोर्ट को एकपक्षीय करार दिया और घोषणा की कि वे इसे अदालत में चुनौती देंगे।

पृष्ठभूमिः इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब संभल स्थित कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी सहित पांच अन्य याचिकाकर्ताओं ने संभल की शाही जामा मस्जिद को प्राचीन हरिहर मंदिर बताते हुए चंदौसी की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अदालत में एक याचिका दायर की। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि इस विवादित परिसर का सर्वे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई जाए। याचिकाकर्ताओं और उनके वकील विष्णु शंकर जैन ने यह दावा किया था कि यह एक प्राचीन हरिहर मंदिर है, जिसे 1529 में मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर ध्वस्त करके वहां पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। इसके बावजूद वहां हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और वर्तमान में वहां नमाज अदा की जा रही है।

याचिकाकर्ताओं ने इस संदर्भ में बाबर द्वारा लिखित 'बाबरनामा' का भी उल्लेख किया था। बाबरनामा में कहा गया है कि 1529 में उसके आदेश पर उसके एक सेनापति मीर हिंदू बेग ने संभल स्थित हरिहर मंदिर को ध्वस्त कर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख अबुल फजल द्वारा लिखित 'आईन-ए-अकबरी' में भी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया था कि इस विवादित इमारत का सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करवाने के लिए अदालत द्वारा अधिवक्ता रमेश सिंह राघव के नेतृत्व में एक एडवोकेट कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

एएसआई ने अदालत को सूचित किया था कि 1920 में संभल की शाही जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। पिछले 500 सालों में इस इमारत में कई बदलाव और संशोधन किए गए हैं, जिसके कारण पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर इसके मूल ढांचे के विषय में स्पष्ट निर्णय करना जटिल रहा है। एएसआई ने पूर्व में यह पक्ष भी रखा था कि मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा कई बार नियमों की अवहेलना कर परिसर में संरचनात्मक बदलाव किए गए, जिसका विरोध करने के साथ-साथ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इस स्थिति को देखते हुए मांग की गई थी कि इस इमारत का पूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए ताकि इसके ऐतिहासिक स्वरूप का संरक्षण ठीक से हो सके।

'जेन–जी' पर संघ प्रमुख के बयान पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रया

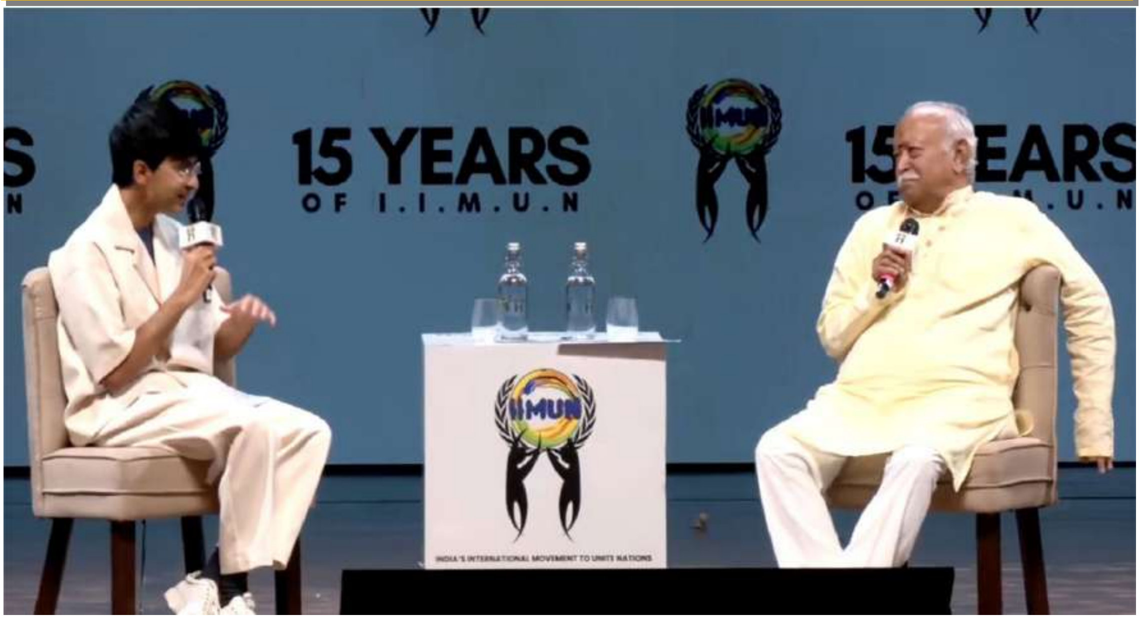

इंकलाब (7 अगस्त) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर मुझे आंख मूंदकर भरोसा करना है तो मैं 'जेन-जी' पर कर सकता हूं। उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि व्यवस्था में बेहतरी के लिए छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों के बारे में उन्हें कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संवाद का एक आधार होता है। छात्रों की शिकायतें उचित हैं और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की काफी गुंजाइश है, इसलिए उनसे बातचीत की जानी चाहिए।

मोहन भागवत ने आगे कहा कि पुरानी पीढ़ियां बिना सवाल किए बड़ों की बातें मान लेती थीं, लेकिन 'जेन-जी' और 'जेन-अल्फा' तर्कसंगत जवाब चाहती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति और विरोध प्रदर्शन करने का एक उचित मार्ग होना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि अगर नौजवान आवाज उठा रहे हैं तो वह केवल विरोध के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए होनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां हैं और इनमें सुधार करने की जरूरत है। इस संदर्भ में छात्रों को अपनी आवाज उठाने और सुधार की मांग करने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए **इंकलाब** (7 अगस्त) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के कारण सरकार को जिस तरह शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा लेने पर मजबूर होना पड़ा, उससे संघ परिवार के भीतर भी चिंता बढ़ गई है। इस चिंता की बड़ी वजह इन प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के तेवर थे, जिससे साफ था कि वे न केवल भाजपा नेतृत्व के खिलाफ हैं, बल्कि भाजपा की वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस से भी बेहद नाराज हैं। यही वजह है कि मुंबई में 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस' की 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत के साथ छात्रों के संवाद का सत्र

रखा गया ताकि इस नई पीढ़ी को संघ की विचारधारा और हिंदुत्व के एजेंडे से प्रभावित किया जा सके।

समाचारपत्र ने लिखा है कि हकीकत में यह कार्यक्रम 'जेन-जी' को रिझाने के संघ के प्रयासों का ही एक हिस्सा था। शायद इसका कारण यह है कि संघ इस नई पीढ़ी की नाराजगी को कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देख रहा है और इसी वजह से वह चिंतित है। जिस तरह देश की नई पीढ़ी ने सरकार के अड़ियल रुख के बावजूद उसे झुकने पर मजबूर किया और सवालों से बचने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जवाब मांगा उससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत की युवा पीढ़ी शासकों के खिलाफ लामबंद हो रही है। अगर दुनिया के इतिहास पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि जहां भी नौजवान सत्तारूढ़ दल के सामने सीना तानकर खड़े हुए हैं, वहां के शासकों को अंततः अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है।

जंतर-मंतर के प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अभिजीत दिपके का कहना है कि इस देश के युवाओं ने सरकार को इस कदर मजबूर किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी रात के 11 बजे इंस्टाग्राम पर वीडियो डालनी पड़ी। इसके साथ ही आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को भी युवाओं से संवाद करने के लिए आगे आना पड़ा है। देर से ही सही इन लोगों को यह समझ में आने लगा है कि वे 'जेन-जी' को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनसे संवाद करना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि यही युवा इस देश का भविष्य हैं।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदुत्ववादी तत्वों द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को घरों में भी नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है और उन्हें भीड़ द्वारा हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। इन सब में संघ के सहयोगी संगठनों - बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा की मुख्य भूमिका रही है। हर कोई जानता है कि न तो संघ के नेतृत्व ने, न मोदी सरकार ने और न ही भाजपा की राज्य सरकारों ने ऐसी हरकतों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की है।

समाचारपत्र के अनुसार देश के कम पढ़े-लिखे या अनपढ़ युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर उनका ब्रेनवॉश करने में संघ भले ही कामयाब रहा हो, लेकिन शिक्षित युवा पीढ़ी का संघ-भाजपा से मोहभंग हो चुका है। यही वह वर्ग है, जिसे संघ परिवार नए सिरे से रिझाने की कोशिश कर रहा है। युवाओं को शिक्षा से वंचित करने के हिंदुत्ववादी तत्वों के परोक्ष प्रयासों के बावजूद यह वर्ग हर मामले को 'हिंदू-मुस्लिम' या 'हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म' के चश्मे से नहीं देखता। इनमें से अधिकांश युवा भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हैं। इन युवाओं में कई ऐसे भी शामिल हैं, जिनके बुजुर्ग भले ही संघ-भाजपा की विचारधारा से सहमत हों, लेकिन यह नई पीढ़ी व्यवस्था और नीतियों में बदलाव के लिए मैदान में आने को तैयार है।

अवधनामा (13 अगस्त) ने लिखा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह कहना प्रशंसनीय

चिंतित है। एक युवा वर्षों तक कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। उसका परिवार अपने सीमित संसाधनों से उसकी शिक्षा, कोचिंग, किताबों और रहने के खर्च का बोझ उठाता है, लेकिन जब अचानक पेपर लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित या रद्द हो जाती है तो उसके सामने यह यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर उसकी इस मेहनत का क्या मोल है? यही कारण है कि 'जेन-जी' सरकार से पूछ रही है कि परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी क्यों नहीं है? अगर व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि शिकायतें सही हैं तो दोषियों पर कार्रवाई कब होगी?

है कि 'जेन-जी' की शिकायतें उचित हैं और विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का एक हिस्सा है, इसलिए प्रदर्शन करने वाले युवाओं को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। हालांकि, इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या यह वाकई युवाओं को समझने का प्रयास है या फिर सरकार को बुनियादी सवालों से बचाने के लिए कोई नया रास्ता तलाशा जा रहा है?

झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के आंदोलन ने इस सवाल को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। वहां 25 जुलाई से शांतिपूर्ण आंदोलन जारी था, लेकिन बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित भाजपा से संबद्ध अन्य युवा संगठन भी इसमें शामिल हो गए। इसके बाद जब प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा की ओर मार्च करना शुरू किया तो पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठी चार्ज किया।

संपादकीय के अनुसार असली समस्या यह नहीं है कि 'जेन-जी' क्यों विरोध प्रदर्शन कर रही है, बल्कि असली समस्या यह है कि युवाओं द्वारा उठाए गए इन बुनियादी सवालों का जवाब कौन देगा? आज का युवा केवल सरकार से नाराज नहीं है, बल्कि वह अपने भविष्य को लेकर बेहद

संपादकीय के अनुसार यहीं से मोहन भागवत के बयान का दूसरा पहलू सामने आता है। अगर 'जेन-जी' के प्रश्न उचित हैं तो इन सवालों के जवाब मिलने भी जरूरी हैं। यदि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है तो सरकार का रुख भी पूरी तरह लोकतांत्रिक होना चाहिए। प्रदर्शन करने वाले युवाओं को देश का दुश्मन या उनकी मांगों को केवल एक राजनीतिक साजिश करार देकर खारिज नहीं किया जा सकता। 'जेन-जी' को महज एक गुस्सैल पीढ़ी कहकर नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी।

झारखंड में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ भाजपा द्वारा राज्यव्यापी बंद की अपील ने इस मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है। यह स्थिति वास्तव में भगवा ब्रिगेड के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ भाजपा राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है तो दूसरी तरफ संघ प्रमुख का कहना है कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का जायज हिस्सा है और नई पीढ़ी की बात सुनी जानी चाहिए। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो केंद्र सरकार ने इस सिद्धांत को अपने ऊपर

लागू क्यों नहीं किया? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को देखकर वैचारिक सिद्धांत नहीं बदले जाने चाहिए। जब नौजवान किसी विपक्षी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तब तो उनकी मांगें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार के सामने यही मांगें दोहराने पर उन्हें देशद्रोही कैसे कहा जा सकता है?

हिंदुस्तान (8 अगस्त) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के बयान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि कोई भी सरकार नई पीढ़ी को अपने आदेश मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मोहन भागवत ने यह स्वीकार किया है कि आज के नौजवान बिना सोचे-समझे सरकार की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें केवल तर्क और संवाद से ही संतुष्ट किया जा सकता है। उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों तथा नेताओं से स्पष्ट कहा है कि आज के युवाओं पर अपनी राय थोपी नहीं जा सकती। उन्हें समझाने के लिए उनसे निरंतर बातचीत करनी होगी और उनकी बातों को गंभीरता से सुनना होगा। भागवत ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि नई पीढ़ी के सवालों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए और न ही उनके विरोध को सरकार के खिलाफ बगावत का नाम दिया जाना चाहिए। समाचारपत्र ने कहा है कि भागवत का यह संकेत साफ तौर पर मोदी सरकार के उस रवैये की ओर था, जिसके तहत अक्सर सवाल उठाने वालों की मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं।

मुंसिफ (13 अगस्त) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं उसके खिलाफ देश सहित विदेशों में भी आवाज उठने लगी है। कनाडा के कई संगठनों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित करने की मांग की है। यह विरोध सरसंघचालक मोहन भागवत के प्रस्तावित कनाडा दौरे को लेकर शुरू हुआ है। वे अगले महीने की शुरुआत में वहां जाने वाले हैं, जहां भारतीय लोगों के साथ उनके संवाद का कार्यक्रम तय है। आरएसएस के 'ग्लोबल आउटरीच विंग' द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के विरोध में कनाडा के दो सांसदों ने अपनी सरकार को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने भागवत के कनाडा प्रवेश पर रोक लगाने सहित वहां संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। इस मांग का समर्थन वहां के 200 से अधिक जन संगठनों तथा 40 से अधिक मानवाधिकार समूहों ने भी किया है। ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया है कि आरएसएस व उसके नेता धार्मिक नफरत फैलाते हैं और उनके भाषणों से कनाडा का सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में पड़ सकता है। ■

मदरसों को 'आतंकवाद की फैक्ट्री' कहे जाने पर विवाद

इंकलाब (5 अगस्त) के अनुसार हाल ही में बांग्लादेश मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा इस्लामी मदरसों को 'आतंकवाद की फैक्ट्री' करार दिए जाने के बाद मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'कामिल' और 'फाजिल' की डिग्रियों को मदरसा अधिनियम से हटाने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि "मदरसे चाहे भारत के हों, पाकिस्तान के हों या फिर बांग्लादेश के, ये सभी आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं और उनका मुख्य लक्ष्य आतंकवाद को बढ़ावा देना ही है।" इस बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि मौर्य ने यह बयान राम मंदिर के नाम पर चंदे

कि इस महिला ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और मदरसों के बारे में जो बयान दिया है, वह घोर निंदनीय है। किसी विदेशी नागरिक को भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि नसरीन का यह कहना सरासर गलत है कि मदरसों में जिहादी तैयार होते हैं। उनके इस बयान से करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

और चढ़ावे की चोरी के मामले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिया है।

गौरतलब है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों में दी जाने वाली 'कामिल' और 'फाजिल' की डिग्रियों को हटाने के लिए 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 में संशोधन किया जाना था। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले जब मीडिया ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने मदरसों की शिक्षा प्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि "जो भी मदरसे में शिक्षा ग्रहण करता है वह न तो 'भारत माता की जय' बोलता है और न ही 'वंदे मातरम'
गाता है। उनकी मानसिकता एक आतंकवादी की तरह हो जाती है और मदरसे अघोषित रूप से आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्रियां बन चुके हैं। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों के बारे में दिए गए इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे सांप्रदायिकता और मानसिक दिवालियापन करार दिया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि यह बयान ऐसे लोग दे रहे हैं, जिन्हें मदरसों के गौरवशाली इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अवधनामा (5 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तस्लीमा नसरीन के बयान की आलोचना की है। बोर्ड ने कहा है

सियासत (4 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तस्लीमा नसरीन के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि यह नफरत फैलाने वाला बयान है और इस तरह के व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि एक विदेशी नागरिक ने देश में यूसीसी लागू करने का भी समर्थन किया है और यह दावा किया है कि महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैये को खत्म करने के लिए देश भर में यूसीसी लागू करना जरूरी है। रजवी ने दावा किया कि इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है, जो महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की वकालत करता है।

इसी समाचारपत्र ने 6 अगस्त के अंक में कहा है कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने मांग की है कि तस्लीमा नसरीन को देश से निष्कासित किया जाए और केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि भारत सरकार को ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

एतेमाद (6 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष

और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान उनकी अज्ञानता का प्रमाण है। ये उस पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया और अंग्रेजों की गुलामी की। उन्होंने आगे कहा कि इन्हीं मदरसों ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। यही कारण है कि अंग्रेजों ने मौलाना सैयद किफायत अली काफी को फांसी पर लटका दिया था। ओवैसी ने यह मांग की कि तस्लीमा नसरीन को भारत से निष्कासित किया जाए, क्योंकि वे इस देश में सांप्रदायिक जहर फैला रही हैं।

धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्रवाई करने से इनकार

इंकलाब (12 अगस्त) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो बालिग बहनों द्वारा स्वेच्छा से इस्लाम अपनाने के मामले में उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान ने हर व्यस्क नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता, अपनी पसंद के स्थान पर रहने और व्यक्तिगत जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार दिया है उसके कारण अदालत इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन दोनों युवतियों को उनके परिवारवालों ने गैर-कानूनी तौर पर बंधक बनाकर रखा हुआ था, इसलिए वे कानूनन अपनी मर्जी के मुताबिक स्वतंत्र जीवन जीने की हकदार हैं। इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और इन बहनों के पिता को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने यह फैसला आगरा की दो बालिग बहनों - दीया भाटिया उर्फ जोया (20 वर्ष) और अंशु भाटिया उर्फ अमीना (35 वर्ष) की ओर से दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। अदालत के सामने इन दोनों बहनों ने बयान दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी, आस्था और मानसिक शांति के लिए बिना किसी

दबाव, धोखे, जबरदस्ती या लालच के इस्लाम धर्म स्वीकार किया है। बड़ी बहन अंशु ने बताया कि उसने वर्ष 2020 में और उसकी छोटी बहन दीया ने 2021 में ही इस्लाम अपना लिया था, जिसके बाद उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके पिता ने उन्हें पैतृक घर में अवैध रूप से कैद करके रखा था। गौरतलब है कि 30 जुलाई को उच्च न्यायालय ने इन दोनों बहनों को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था और 6 अगस्त को उनसे सीधी बातचीत की थी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार या उनके परिवारजन किसी बालिग द्वारा अपनी मर्जी से लिए गए फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और न ही किसी व्यस्क व्यक्ति के आवागमन या उसके जीवन-यापन पर किसी तरह की रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि यह संविधान में दिए गए बुनियादी अधिकारों का खुला उल्लंघन है। राज्य सरकार के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, इसलिए कोई भी व्यक्ति लालच देकर या दबाव डालकर जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकता और जो ऐसा करता है, उसके लिए कानून में सजा की व्यवस्था है।

राज्य सरकार के वकील ने अदालत में इन दोनों बहनों के पिता द्वारा थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर को प्रस्तुत किया था, जिसमें पिता ने यह आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने प्रलोभन देकर इन दोनों बहनों का इस्लाम में धर्मांतरण कराया है। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस द्वारा जांच के दौरान इस मुकदमे में 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' की धाराएं भी जोड़ी गई थीं। राज्य सरकार के वकील ने अदालत में यह तर्क दिया था कि धर्मांतरण एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसमें विदेशी फंडिंग का हाथ होने की आशंका है और धर्मांतरण का ऐसा स्तर देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को प्रभावित करता है। सरकारी वकील ने यह भी तर्क दिया था कि अगर इन युवतियों को मुक्त किया गया तो उसका गलत प्रभाव इस मुकदमे की जांच पर पड़ेगा।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि एफआईआर के तहत दर्ज मुकदमे की जांच जारी रहेगी और इन दोनों युवतियों को मुक्त किए जाने का प्रभाव इस जांच पर नहीं पड़ेगा। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इन दोनों युवतियों द्वारा धर्मांतरण करने के बाद उनकी मर्जी के खिलाफ उनके माता-पिता ने उन्हें अपने घर में रखा हुआ था और उन्हें बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार बंधक बनाया जाना पूरी तरह गैर-कानूनी है, इसलिए अदालत की यह जिम्मेदारी है कि दोनों युवतियों की स्वतंत्रता को बहाल किया जाए।

उर्दू टाइम्स (4 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश में 'लव जिहाद' के बारे में कुछ सांप्रदायिक ताकतों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार के कारण संविधान, कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है। इसके कारण विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच होने वाले अंतरधार्मिक विवाहों को भी संदेह की नजर से देखा जाता है। इस बात को प्रचारित किया जाता है कि महिलाओं ने प्रेमवश विधर्मियों से विवाह किया है। ऐसी शादियों को नाक का सवाल बनाकर समाज की परंपराओं का उल्लंघन करने वालों को उनके परिजन ही मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे माहौल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह फैसला ऐतिहासिक है। अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए सरकार और कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं के रवैये को नजरअंदाज करके संविधान की भावना की रक्षा की है। हालांकि, यह बात बेहद सीधी और सामान्य मालूम होती है, लेकिन वर्तमान समय में इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि सरकार और अतिवादी संगठन धर्मांतरण का

विरोध कर रहे हैं। वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि संविधान में दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई व्यस्क व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म अपना सकता है और उस धर्म से संबंधित व्यक्ति के साथ निकाह कर सकता है।

समाचारपत्र ने लिखा है कि एक विशेष विचारधारा से प्रेरित सरकारों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मनमाने ढंग से किया जा रहा है। इस मुकदमे में दोनों बहनों ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम स्वीकार किया है और वे अपनी पसंद के मुस्लिम लड़के से निकाह करना चाहती हैं। उनका कहना है कि उन पर न तो किसी ने दबाव डाला है और न ही किसी ने धोखा दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि जैसे ही युवतियों के माता-पिता को उनके प्रेम विवाह की खबर मिली, उन्होंने अपहरण, जबरन शादी और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया ताकि वे अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी न कर सकें। कुछ संगठन 'लव जिहाद' के मुद्दे को उछालकर धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि पिछले एक दशक में अनेक ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जहां पुलिस ने सांप्रदायिक नजरिए के कारण प्रेम विवाह करने वालों के खिलाफ गलत और मनमाने ढंग से कानून का दुरुपयोग किया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (10 अगस्त) ने अपने संपादकीय में मुस्लिम समाज से अनुरोध किया है कि कुछ सांप्रदायिक संगठनों द्वारा 'लव जिहाद' के मुद्दे को उछालकर मुस्लिम युवतियों को इस्लाम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। संपादकीय के अनुसार इन संगठनों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए यह आवश्यक है कि हर मुस्लिम परिवार अपनी बहन-बेटी को दीनी (धार्मिक) शिक्षा दे। इससे मुस्लिम युवतियां सांप्रदायिक तत्वों के भ्रामक और झूठे प्रचार के प्रभाव में नहीं आएंगी तथा अपने दीन पर मजबूती से टिकी रहेंगी। ■

यूसीसी लागू होने तक मुसलमानों को बहुविवाह का अधिकार

औरंगाबाद टाइम्स (6 अगस्त) के अनुसार मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस के बीच पटना उच्च न्यायालय ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक देश में यूसीसी लागू नहीं होती या बहुविवाह पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं बनता तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पुरुषों को बहुविवाह (एक से अधिक विवाह) करने का अधिकार प्राप्त है और ऐसे निकाहों को कानूनी संरक्षण भी हासिल है। यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मामले की सुनवाई

करते हुए अदालत ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिवंगत मुस्लिम कर्मचारी की दूसरी पत्नी को कानूनी अधिकार प्रदान करे और उसे पारिवारिक पेंशन देने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

यह मामला बिहार के लखीसराय की रहने वाली नजमा खातून का है। उन्होंने अपने दिवंगत पति और सरकारी कर्मचारी मोहम्मद उस्मान की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन की मांग की थी। मोहम्मद उस्मान का निधन 14 अक्टूबर 2024 को हो गया था। नजमा ने अदालत को बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वह दिवंगत कर्मचारी की दूसरी कानूनी पत्नी हैं, इसलिए उन्हें पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। दूसरी ओर, बिहार सरकार के वकील ने अदालत में यह तर्क दिया था कि इस सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी के लिए सरकार से अनुमति लेने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने कहा कि यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 44 देश में यूसीसी लागू करने का समर्थन करता है, लेकिन जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाती या बहुविवाह पर रोक नहीं लगाती तब तक मुसलमानों को शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार विवाह करने का अधिकार रहेगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि दूसरी पत्नी को केवल इसलिए पारिवारिक पेंशन देने से मना नहीं किया जा सकता कि वह पहली पत्नी नहीं है। चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी पत्नी के साथ किया गया निकाह पूरी तरह वैध है, इसलिए वह पेंशन की हकदार है। अदालत ने अपने फैसले में बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा 2011 में जारी किए गए एक आदेश का भी उल्लेख किया। इस सरकारी आदेश में साफ लिखा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवाएं पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी होंगी। अदालत ने जोर देकर कहा कि यह सरकारी आदेश आज भी लागू है और इसे रद्द नहीं किया गया है, इसलिए सरकार को इसका पालन करना ही होगा। अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर नजमा खातून की पेंशन राशि का भुगतान करें।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 अगस्त) के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी काजी या शरिया अदालत को मुस्लिम पति-पत्नी के बीच तलाक का फतवा जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने भोपाल की दारुल इफ्ता मस्जिद कमेटी द्वारा जारी किए गए एक फतवे को कानूनी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया और इस संबंध में पति की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने दारुल इफ्ता की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी दारुल इफ्ता (फतवा विभाग) केवल धार्मिक मामलों पर सलाह या राय दे सकता है। उसे कानूनी तौर पर शादी तोड़ने या तलाक देने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि किसी भी फतवे के जरिए निकाह को खत्म नहीं किया जा सकता और न ही देश की कोई पारिवारिक अदालत इस फतवे के आधार पर

तलाक की मंजूरी दे सकती है। कानूनी रूप से तलाक देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की अदालतों के पास है। अदालत ने यह भी साफ किया कि मुस्लिम पुरुषों को नियमानुसार पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर करने का पूरा अधिकार है, जिसके बाद सिर्फ अदालत ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह खत्म करने का वैध आदेश जारी कर सकती है।

समाचारपत्र ने इसी अंक के अपने संपादकीय में कहा है कि यदि इस्लामिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तलाक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक प्रक्रिया है। कुरान में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर पति-पत्नी के बीच गंभीर मतभेद पैदा होते हैं तो पहले उन दोनों को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर ये प्रयास विफल हो जाते हैं तो पति काजी के माध्यम से तलाक हासिल कर सकता है। इसी तरह शरिया में 'खुला' (पत्नी द्वारा तलाक की मांग) और निकाह को रद्द करने के भी स्पष्ट नियम हैं। संपादकीय में कहा गया है कि अदालतों को मुसलमानों के शरिया मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदालतें देश के कानून के अनुसार फैसले देती हैं, शरिया कानून के तहत नहीं। समाचारपत्र ने कहा है कि शरिया अदालतों और मुस्लिम उलेमा को यह प्रयास करना चाहिए कि बात तलाक तक न पहुंचे। अगर उनका यह प्रयास विफल हो जाता है तो उन्हें शरिया के अनुसार तलाक की प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (7 अगस्त) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार अपने मुस्लिम विरोधी रुख के कारण मुसलमानों के धार्मिक और शरिया मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। सरकार मुसलमानों को बहुविवाह के अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रही है, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है।

स्पेन में हजारों अफ्रीकी मुसलमानों की घुसपैठ

सहाफत (1 अगस्त) के अनुसार मोरक्को और अन्य अफ्रीकी देशों से 70 हजार से अधिक मुस्लिम प्रवासियों की अचानक हुई घुसपैठ के कारण स्पेन ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना को तैनात कर दिया है और प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने इस विस्फोटक स्थिति पर विचार करने के लिए सदस्य देशों के गृह मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों ने स्पेन से लगने वाली अपनी सीमाओं को बंद करने की घोषणा की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोरक्को और अन्य अफ्रीकी देशों से 70 हजार से अधिक मुस्लिम घुसपैठियों ने समुद्र के रास्ते तैरकर और सीमा लांघकर अफ्रीका के उत्तरी छोर पर स्थित स्पेन के क्षेत्र स्यूटा तथा आसपास के क्षेत्रों में घुसपैठ कर दी। इन घुसपैठियों ने सीमा पर लगी बाड़ और सुरक्षा बाधाओं को तोड़ दिया, जिससे सुरक्षा बलों के साथ उनकी भारी झड़पें हुईं। इस अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान मची भीषण भगदड़ और समुद्र में डूबने के कारण 90 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।

स्पेन के गृह मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि स्थिति बेहद गंभीर है। अपने नागरिकों और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। यही कारण है कि देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई है। स्पेन की सिविल गार्ड के प्रवक्ता ने कहा कि तटीय सीमाओं से लोग भारी संख्या में स्पेन में घुसपैठ कर चुके हैं, जिनमें से अधिकांश मोरक्को, सिएरा लियोन और गाम्बिया के नागरिक हैं। स्पेन के विदेश मंत्री ने मोरक्को की सरकार से इस अप्रत्याशित स्थिति पर काबू पाने के लिए सहयोग मांगा है।

गौरतलब है कि इस पूरे घटनाक्रम में स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले की गलत व्याख्या और सोशल मीडिया पर फैली अफवाह को मुख्य वजह माना जा रहा है। हाल ही में स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों को बिना

कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। मानव तस्करी करने वाले गिरोहों ने इस फैसले को तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके कारण प्रवासियों को लगा कि अगर वे किसी भी तरह समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंच गए तो उन्हें वहां से निष्कासित नहीं किया जाएगा और उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल जाएगी।

इंकलाब (1 अगस्त) के अनुसार स्यूटा के मेयर ने पुष्टि की है कि पिछले दो दिनों में 72 हजार से अधिक लोगों ने अवैध रूप से स्यूटा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश किया है। इस संकट को देखते हुए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी सीमाओं पर सख्त सुरक्षा प्रबंध करने का फैसला किया है ताकि अफ्रीकी घुसपैठिए इटली में दाखिल न हो सकें।

इंकलाब (2 अगस्त) के अनुसार स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि इस अवैध घुसपैठ के पीछे मानव तस्करी करने वाले गिरोहों का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ देश जानबूझकर स्पेन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि जो लोग अवैध रूप से स्पेन में दाखिल हुए थे उनमें से लगभग 50 हजार घुसपैठिए वापस अपने देश लौट चुके हैं।

सहाफत (3 अगस्त) के अनुसार यूरोपीय यूनियन के देश इस स्थिति के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फ्रांस ने स्पेन से लगने वाली अपनी सीमा को बंद करके वहां सैनिक तैनात कर दिए हैं ताकि कोई भी घुसपैठिया स्पेन के रास्ते फ्रांस में प्रवेश न कर सके। दूसरी ओर, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क ने यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों द्वारा अपनी सीमाएं बंद करने के फैसले का समर्थन किया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने स्पेन से यह मांग की है कि वह इन सभी घुसपैठियों को अपने नियंत्रण में वापस ले और उन्हें आगे बढ़ने से रोके। वहीं, फ्रांस और ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वे इस विस्फोटक स्थिति से निपटने के लिए स्पेन को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं।

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि उन्होंने अपनी सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी है। हालांकि, उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि स्पेन को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता से वंचित किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह किसी देश पर लाखों घुसपैठियों के हमले जैसा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन दोबारा नहीं चुने गए तो यही स्थिति अमेरिका में भी होगी, इसलिए अमेरिकी जनता को इस मामले में सतर्क रहना चाहिए।

एतेमाद (3 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अफ्रीका के लोग अनिश्चित आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी के कारण अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने की आशा में यूरोपीय देशों में दाखिल हो रहे हैं। यह गंभीर मानवीय समस्या है। इस संकट के दौरान कुछ ही दिनों में हजारों लोग स्पेन की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। यह स्थिति मई 2021 के संकट से भी अधिक गंभीर है, क्योंकि तब लगभग 12 हजार लोगों ने ही अफ्रीका से स्पेन में घुसपैठ की थी। समाचारपत्र ने लिखा है कि इस अवैध घुसपैठ में मोरक्को सरकार की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, जिसने इसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि, इस पूरे मामले पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि मोरक्को वर्ष 1956 में स्वतंत्र होने के बाद से ही यह दावा करता आ रहा है कि स्यूटा और मेलिला उसके अभिन्न अंग हैं, इसलिए स्पेन को ये क्षेत्र उसे सौंप देने चाहिए। दूसरी ओर, स्पेन ने मोरक्को के इस दावे को कभी स्वीकार नहीं किया। पर्यवेक्षकों का कहना है कि मोरक्को द्वारा स्पेन पर इन क्षेत्रों की वापसी का

दबाव बनाने के लिए अक्सर प्रवासियों को सीमा पर खुली छूट देने का यह हथकंडा अपनाया जाता है।

इस संकट के कारण स्पेन के भीतर राजनीतिक गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। स्पेन के दक्षिणपंथी संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। वहीं, इटली ने इस बात पर जोर दिया है कि यूरोपीय देशों को स्पेन के साथ हुए उस समझौते को रद्द कर देना चाहिए, जिसके तहत स्पेन के नागरिक बिना वीजा के यूरोपीय यूनियन के अन्य देशों में प्रवेश कर सकते हैं। वर्तमान में स्पेन में पांच लाख से अधिक अवैध प्रवासी रह रहे हैं। स्पेन की सरकार ने इन विदेशी प्रवासियों को देश में रहने और काम करने की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की है। यह फैसला केवल उन प्रवासियों पर लागू होगा, जो वर्ष 2023 से पहले स्पेन में दाखिल हुए थे और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत दौरा स्थगित

औरंगाबाद टाइम्स (17 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपना प्रस्तावित भारत दौरा स्थगित कर दिया है। वे 21 अगस्त से भारत के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले थे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत पहले बांग्लदेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजे, उसके बाद ही इस संबंध में विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले 5 अगस्त को नई दिल्ली में शेख हसीना ने एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने कई राजनीतिक बयान दिए थे। इसके कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ए.के.एम. शाहिदुल करीम ने कहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे से पहले दोनों देशों के संबंधों में सुधार की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है।

नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं कर देता तब तक प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत नहीं जाना चाहिए। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली में शेख हसीना की प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन भारत सरकार के इशारे पर किया गया था और इसे शेख हसीना की व्यक्तिगत राय नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि इस मामले से भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है। शेख हसीना ने व्यक्तिगत तौर पर इस प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया था। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कोई भी व्यक्ति अपना बयान दे सकता है।

गौरतलब है कि फरवरी महीने में जब तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय लोक सभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला आधिकारिक तौर पर शामिल हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से तारिक रहमान को भारत की आधिकारिक यात्रा करने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था।

उर्दू टाइम्स (17 अगस्त) के अनुसार अभी तक यह परंपरा रही है कि बांग्लादेश में जो भी प्रधानमंत्री बनता है, वह सबसे पहले भारत का दौरा करता है, लेकिन इस परंपरा को निभाने के बजाय तारिक रहमान ने सबसे पहले मलेशिया और चीन का दौरा किया।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वे दिसंबर महीने में अपने देश लौटना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि "मैं हमेशा भारत में नहीं रह सकती। मैं चाहती हूं कि बांग्लादेश के लोगों को एक लोकतांत्रिक देश का माहौल मिले।" उन्होंने बांग्लादेश सरकार से मांग की कि अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और देश में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की जाए। उन्होंने आगे कहा कि वे भली-भांति जानती हैं कि बांग्लादेश वापस जाने पर वहां की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन वे गिरफ्तारी के डर से अपने देश की जनता के बीच जाने के अपने फैसले को स्थगित नहीं कर सकतीं।

एक अन्य समाचार के अनुसार शेख हसीना ने मीडिया से जो वर्चुअल बातचीत की थी, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन भी शामिल थे। इस घटना के बाद बांग्लादेश स्थित शाकिब अल हसन के पैतृक आवास पर एक उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। उपद्रवियों ने उनके घर पर पथराव किया और उसमें आग लगा दी।

उर्दू टाइम्स (10 अगस्त) ने अपने संपादकीय में भारत सरकार से मांग की है कि उसे इस संबंध में दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए। शेख हसीना को मानवता के आधार पर शरण देना अलग बात है, परंतु उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देना भारत और बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए घातक साबित हो सकता है। भारत सरकार का 'शेख हसीना प्रेम' उसे उस रास्ते पर धकेल देगा जिसे बांग्लादेश पसंद नहीं करता। अब भारत सरकार को यह फैसला करना होगा कि वह बांग्लादेश के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को बचाना चाहती है या एक निर्वासित नेता का समर्थन करके नई शत्रुता मोल लेना चाहती है।

अवधनामा (11 अगस्त) ने अपने संपादकीय में हैरानी प्रकट की है कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद ने दावा किया है कि भारत की पूर्वी सीमा पर एक और पाकिस्तान खड़ा हो गया है। समाचारपत्र के अनुसार अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धि पर पानी फिर

गया है। यह दिखाता है कि भारत की विदेश नीति दिन-प्रतिदिन विफल हो रही है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'। इसका अर्थ है कि उन्होंने सिंधु जल समझौते पर पानी फेर दिया। इसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी दी। इसका साफ मतलब है कि कश्मीर समस्या को द्विपक्षीय बातचीत से हल करने का ऐतिहासिक फैसला मिट्टी में मिल गया है।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि विश्व स्तर पर पाकिस्तान के समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर उसने कश्मीर मुद्दे को दोबारा संयुक्त राष्ट्र में पेश किया तो भारत के लिए नया संकट पैदा हो सकता है। आज बदलते वैश्विक समीकरणों को देखते हुए इस बात की संभावना बेहद कम है कि रूस पहले की तरह कश्मीर से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए आंख मूंदकर वीटो का सहारा लेगा।

बांग्लादेश से तीन लाख रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार वापसी

उर्दू टाइम्स (16 अगस्त) के अनुसार म्यांमार सरकार ने बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों को वापस बुलाने का फैसला किया है। सरकारी प्रवक्ता ने घोषणा की है कि बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे तीन लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को अब अपने देश लौटने की अनुमति दी जाएगी। म्यांमार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये शरणार्थी मूल रूप से रखाइन राज्य के निवासी हैं। उन्होंने आगे बताया कि अब वहां सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है,

इसलिए उन्हें वापस स्वदेश लौटने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। ये शरणार्थी पिछले नौ सालों से बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं।

गौरतलब है कि अगस्त 2017 में रखाइन क्षेत्र में म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी, जिसके बाद भारी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से पलायन कर बांग्लादेश चले गए थे। इस संबंध में बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के 8 लाख 28 हजार से अधिक नामों की एक सूची म्यांमार सरकार को भेजी थी। म्यांमार सरकार ने हाल ही में इनमें से 3 लाख 9 हजार लोगों की नागरिकता का सत्यापन पूरा कर लिया है, जबकि शेष शरणार्थियों की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। इस सूची में 4241 व्यक्तियों को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, इसलिए म्यांमार सरकार ने उन्हें वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। म्यांमार सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया के उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सैन्य कार्रवाई के बाद 15 लाख रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार से पलायन किया था।

गौरतलब है कि म्यांमार सरकार इन रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश का नागरिक या अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता नहीं देती है। वहां की सरकार का कहना है कि ये रोहिंग्या मुसलमान मूल रूप से बांग्लादेशी हैं, जो म्यांमार में अवैध रूप से दाखिल हुए थे और तब से वहीं रह रहे हैं।

बलूचों द्वारा पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार

चट्टान (5 अगस्त) के अनुसार विभिन्न बलूच संगठनों की अपील पर इस बार पूरे बलूचिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का पूर्ण बहिष्कार करने और इसे काले दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इससे पहले इन संगठनों ने घोषणा की थी कि वे 11 अगस्त को स्वतंत्र बलूचिस्तान का स्थापना दिवस मनाएंगे। इस अवसर पर बलूचिस्तान के सभी छोटे-बड़े शहरों और कस्बों में बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य के झंडे लहराए जाने की अपील की गई है। साथ ही

दुनिया के सभी देशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की घोषणा करें।

बलूच संगठनों द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान का सैन्य शासन बलूच जनता की स्वतंत्र आवाज को ताकत के बल पर दबाने का लगातार प्रयास कर रहा है। पाकिस्तानी सेना की इन दमनकारी कार्रवाइयों के कारण पूरे क्षेत्र में बलूच नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सरेआम हनन हो रहा है, जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

हमारा समाज (9 अगस्त) के अनुसार बलूचिस्तान के कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि क्वेटा और तुर्बत शहरों का नियंत्रण पूरी तरह से सेना के हवाले कर दिया गया है। पड़ोसी प्रांतों के साथ लगने वाली बलूचिस्तान की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और प्रांतीय राजधानी क्वेटा में सेना ने जगह-जगह टैंक खड़े कर दिए हैं। सेना ने बलूचिस्तान के सभी नागरिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने घरों से बाहर न निकलें और किसी प्रदर्शन में भाग न लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेना ने क्वेटा-कराची हाईवे को भी बंद करके वहां खाइयां खोद दी हैं, जिनमें सशस्त्र सैनिक तैनात हैं। सेना ने यह कार्रवाई आजाद बलूचिस्तान स्थापना दिवस के कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए की है।

चट्टान (15 अगस्त) के अनुसार बलूच नेता महरंग बलोच ने एक बयान में यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने काला दिवस मनाने वाले बलूच नागरिकों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई है और बड़े पैमाने पर उनकी अंधाधुंध गिरफ्तारियां की हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमानों ने बलूचिस्तान के सात इलाकों में अंधाधुंध बमबारी की है, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए है। पाकिस्तानी सेना की इस हिंसक कार्रवाई के खिलाफ बलूच नागरिकों ने सभी प्रमुख सड़कों और राजामार्गों को ब्लॉक करके धरना शुरू कर दिया है।

उर्दू टाइम्स (17 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (आईएसपीआर) ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर 27 आतंकवादियों को मार गिराया है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान के खुजदार जिले में हुई एक अन्य सैन्य कार्रवाई में 30 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनका संबंध बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से बताया जाता है। इसके अलावा खारान जिले में सेना की एक अन्य कार्रवाई में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सात आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों के अड्डों से भारी मात्रा में गोला-बारूद और आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। दूसरी ओर, बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि इस पूरे संघर्ष के दौरान आतंकवादियों ने सात पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है और इस हमलें में 11 अन्य सैनिक घायल हुए हैं।

पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 606 की मौत

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (3 अगस्त) के अनुसार 'पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज' ने दावा किया है कि जुलाई महीने में हुए आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान में सर्वाधिक नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इस्लामाबाद में जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में हुए आतंकवादी हमलों में 606 लोग मारे गए और 232 घायल हुए। इस महीने में पाकिस्तान के 112 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं, जो जनवरी 2023 के बाद सबसे बड़ी संख्या है। वहीं, सेना की जवाबी कार्रवाई में पिछले एक दशक में सबसे अधिक 401 आतंकवादी मारे गए हैं। इस दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ों में 74 आम नागरिक और शांति समितियों के 19 अधिकारियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी।

जून महीने की तुलना में जुलाई में सुरक्षाकर्मियों की मौत में 195 प्रतिशत और आतंकवादियों के मारे जाने की दर में 109 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि आम नागरिकों की हत्याओं के मामलों में भी 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस महीने आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर 21 बार हमले किए, जिसमें बलूचिस्तान प्रांत सबसे गंभीर रूप से प्रभावित रहा। बलूचिस्तान में मौतों का आंकड़ा जून के 109 से बढ़कर जुलाई में 372 तक पहुंच गया, जो वहां सुरक्षाकर्मियों की मौतों में नौ गुना वृद्धि को दर्शाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल के शुरुआती सात महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में कुल 2786 लोग मारे गए, जिनमें 1857 आतंकवादी, 463 नागरिक और 424 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।

उर्दू टाइम्स (5 अगस्त) के अनुसार 'पाकिस्तान वॉच' नामक संगठन ने दावा किया है कि पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर में पुलिस और सेना की गोलीबारी में 232 नागरिक मारे गए, जबकि प्रदर्शनकारियों ने 24 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी और सात पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 12 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों के उन्मूलन के लिए अब पाकिस्तान सरकार वहां के स्थानीय नागरिकों को भी हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे रही है। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी शासक अब 'प्राइवेट मिलिशिया' बनाकर अपने राजनीतिक विरोधियों का सफाया करने की खतरनाक मुहिम शुरू कर रहे हैं, जो देश को सीधे गृहयुद्ध की तरफ धकेल देगी।

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच संयुक्त रक्षा समझौता

हिंदुस्तान (8 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' का नाम दिया गया है। पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस समझौते का मुख्य लक्ष्य इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बढ़ते हुए खतरे का सामना करने के लिए तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत बनाना है। इस समझौते में यह व्यवस्था की गई है कि इन तीनों देशों में से अगर किसी भी देश पर कोई विदेशी हमला होता है तो इसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और ये तीनों देश उस हमले का जवाब संयुक्त रूप से देंगे।

चट्टान (9 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस समझौते पर सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ ने मक्का में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तथा पाकिस्तानी सेना के अन्य उच्चाधिकारी भी शामिल हुए थे।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 अगस्त) के अनुसार इस ऐतिहासिक समझौते के बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भारी जश्न मनाया गया। राजधानी के सबसे ऊंचे भवन 'किंगडम टावर' पर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के राष्ट्रीय झंडों को लहराया गया।

कौमी तंजीम (9 अगस्त) के अनुसार सऊदी अरब के आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया

होता है तो वे संयुक्त रूप से उसका सामना किस तरह करेंगे।

समाचारपत्र के अनुसार इस बात की पूरी संभावना है कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब में संयुक्त सैन्य कमान का एक स्थायी सचिवालय स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान करने, आधुनिक तकनीक के सहारे हथियारों के कारखाने लगाने और सेनाओं के संयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। सऊदी अरब इस समझौते को सफल बनाने के लिए अपने आर्थिक संसाधनों और कूटनीतिक प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करेगा, जबकि तुर्किये नाटो देशों में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना होने, अपने व्यापक युद्ध अनुभव और तेजी से विकसित होती रक्षा उत्पादन क्षमता के कारण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

है कि इस समझौते का मकसद परमाणु बम बनाना या हथियारों की होड़ बढ़ाना नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाना है, जिससे कोई भी देश इन पर हमला करने की हिम्मत न करे।

उर्दू टाइम्स (11 अगस्त) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने यह आशा व्यक्त की है कि इस समझौते में जल्द ही मिस्र भी शामिल हो जाएगा।

सियासत (12 अगस्त) के अनुसार मक्का संयुक्त रक्षा समझौता केवल सैन्य सहयोग तक ही सीमित नहीं है। भविष्य में यह पश्चिम एशिया की सुरक्षा की गारंटी बन सकता है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की रक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आने की संभावना है। तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इस समझौते की तुलना नाटो के अनुच्छेद 5 से की है, जिसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हुआ हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। हालांकि, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसे अभी नाटो का विकल्प कहना सही नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि फिलहाल इस समझौते में किसी संयुक्त सैन्य कमान या तीनों देशों की किसी स्थाई संयुक्त सेना की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही अभी यह भी पूरी तरह साफ नहीं है कि यदि इन देशों पर कोई हमला

दूसरी ओर, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ पुराने सैन्य संबंध हैं, जिसके तहत शुरुआत से ही वहां पाकिस्तानी सेना की दो ब्रिगेड तैनात हैं। सऊदी अरब के शासक परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आज भी काफी हद तक पाकिस्तानी सेना के हाथ में है और उसे यह विशेष सुविधा भी प्राप्त है कि वह अपनी सेना के लिए पाकिस्तान से जवानों की भर्ती कर सकता है।

औरंगाबाद टाइम्स (13 अगस्त) के अनुसार मक्का रक्षा समझौते के बाद इस पूरे क्षेत्र में कूटनीतिक और राजनीतिक गतिविधियों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बहरीन के विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की है। बताया जाता है कि बहरीन के विदेश मंत्री ने इस समझौते पर संतोष प्रकट करते हुए अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की है। इसके साथ ही इशाक डार ने

स्वागत किया है और कहा है कि यह समझौता मुस्लिम दुनिया में सुरक्षा और स्थिरता के लिए बेहद कारगर साबित होगा। वहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि तीनों 'भाई देश' ईमान, दोस्ती, शांति और सलामती की दृष्टि से एकजुट हो गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह ऐतिहासिक समझौता आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति की एक मजबूत ढाल सिद्ध होगा और इससे उम्मत-ए-इस्लामिया (इस्लामी जगत) के कल्याण तथा समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। दूसरी ओर, इजरायल ने इस समझौते पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि इस नए रक्षा समझौते से इजरायल और क्षेत्र के अन्य शांतिपूर्ण देशों के लिए सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से भी लंबी बातचीत की है। ईरान की चिंताओं और शंकाओं को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने विशेष रूप से अपने शिया गृह मंत्री मोहसिन नकवी को तेहरान भेजा है ताकि वे इस समझौते के बारे में ईरान के जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट कर सकें।

एतेमाद (10 अगस्त) के अनुसार तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता ईरान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश रक्षा समझौते में शामिल इन तीनों देशों पर हमला नहीं करता है तो उसे निशाना नहीं बनाया जाएगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि तीनों देशों के बीच कई दशकों पुराने ऐतिहासिक और सामरिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि "हमारा मुख्य लक्ष्य तीनों देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और सामरिक सुरक्षा में बढ़ोतरी करना है। इस समझौते का उद्देश्य कोई नया आक्रामक सैन्य गठबंधन बनाना या सुन्नी देशों का कोई गुट तैयार करना नहीं है। हम केवल इस क्षेत्र की रक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी देश हम पर हमला करने की हिम्मत न कर सके।"

एतेमाद (9 अगस्त) के अनुसार इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) ने इस समझौते का

अवधनामा (12 अगस्त) ने कहा है कि इस समझौते का मुख्य लक्ष्य 'ग्रेटर इजरायल' के मंसूबों को नाकाम करना है। उस्मानी साम्राज्य के समय ये तीनों देश इसी साम्राज्य के प्रभाव या हिस्से के रूप में जुड़े हुए थे। समाचारपत्र ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस्लाम और कुरान को मानने के बावजूद आज कई मुस्लिम देश ही एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में लगे हैं। समाचारपत्र ने अपील की है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर इस्लाम और पैगंबर के दुश्मनों का सामना करें। समाचारपत्र ने कहा है कि यह समझौता इस दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया में एकमात्र परमाणु संपन्न देश है। यदि सऊदी अरब के मजबूत आर्थिक संसाधन, पाकिस्तान की कुशल सैन्य क्षमता और तुर्किये की आधुनिक रक्षा उत्पादन क्षमता का सही तालमेल बन जाता है तो मुस्लिम देश पश्चिमी ताकतों के मुकाबले वैश्विक

स्तर पर एक नई महाशक्ति के रूप में उभर सकते हैं।

हमारा समाज (9 अगस्त) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि मक्का रक्षा समझौते से ईरान के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है। समाचारपत्र ने लिखा है कि सऊदी अरब को यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान और तुर्किये के साथ केवल कागजी समझौते उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। जिस तरह कई दशकों तक अमेरिका पर निर्भर रहने के बावजूद वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह सफल नहीं रहा, उसी तरह यह नया गठबंधन भी जमीन पर कितना प्रभावी होगा, इस पर सवाल हैं। समाचारपत्र ने अपील की है कि पाकिस्तान को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि मुस्लिम जगत के दो महत्वपूर्ण देशों - सऊदी अरब और ईरान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें। हालांकि, पाकिस्तान हमेशा से यह प्रयास करता रहा है कि उसके संबंध सऊदी अरब और ईरान दोनों से मैत्रीपूर्ण रहें।

एतेमाद (10 अगस्त) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि यह समझौता भारत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय रक्षा गलियारों में यह सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के विवाद में तुर्किये और सऊदी अरब भविष्य में भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देंगे? दूसरी तरफ, इजरायल के प्रधानमंत्री के बेटे ने भी इस समझौते पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पूछा है कि अगली बार जब ईरान, हूती विद्रोही या इराक के लड़ाके सऊदी अरब पर हमला करेंगे तो क्या तुर्किये और पाकिस्तान मिलकर ईरान, इराक और यमन पर जवाबी हमला करेंगे?

उर्दू टाइम्स (8 अगस्त) ने कहा है कि यह समझौता भारत और इजरायल के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते शुरुआती समय से ही शत्रुतापूर्ण रहे

हैं। हालांकि, पाकिस्तान कूटनीतिक तौर पर इस नए समझौते को सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति से जोड़कर पेश कर रहा है, लेकिन वैश्विक रणनीतिक विश्लेषक इस समीकरण को अलग नजरिए से देखते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ये तीनों इस्लामी देश आतंकवाद के संरक्षक रहे हैं। सऊदी अरब वहाबी आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाला सबसे बड़ा देश है, जबकि पाकिस्तान की भूमिका भी किसी से छिपी हुई नहीं है। वहीं, तुर्किए में भी कट्टरपंथी इस्लामी राजनीति का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। ऐसे में इस नए त्रिपक्षीय समझौते से इजरायल और भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है।

इंकलाब (18 अगस्त) ने कहा है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ यह बयान दे चुके हैं कि सभी मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि ईरान को छोड़कर ज्यादातर मुस्लिम देशों के अप्रत्यक्ष रूप से इजरायल के साथ कूटनीतिक या व्यावसायिक संबंध बने हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अमेरिका का हाथ है। वह इस समझौते की आड़ में 'अब्राहम समझौते' के तहत अन्य मुस्लिम देशों से भी इजरायल को आधिकारिक मान्यता दिलवाना चाहता है। समाचारपत्र के अनुसार तथ्य यह है कि सैन्य और तकनीकी मोर्चे पर वर्तमान में कोई भी खाड़ी देश अकेले इजरायल का सीधा मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। इतिहास में हुए अरब-इजरायल युद्धों में भी खाड़ी देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था।

तुर्किये संसद में कुर्द विद्रोहियों के निःशस्त्रीकरण का कानून पारित

एतेमाद (12 अगस्त) के अनुसार तुर्किये की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जिसके तहत प्रतिबंधित संगठन 'कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी' (पीकेके) के लड़ाकों को सशर्त माफी दी जाएगी और उन्हें जेल की सजा से मुक्त कर रिहा किया जाएगा। तुर्किये के सरकारी टेलीविजन चैनल 'टीआरटी वर्ल्ड' के अनुसार यह फैसला तुर्किये सरकार और पीकेके के बीच हुए शांति समझौते के तहत किया गया है। इस विधेयक के पक्ष में 468 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 88 ने इसके विरोध में मतदान किया और छह सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। विपक्षी दल 'गुड पार्टी' के सांसदों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया।

इस कानून के तहत पीकेके के गिरफ्तार सदस्यों के खिलाफ दर्ज अधिकांश मामलों में माफी देने की व्यवस्था की गई है। हालांकि, वर्ष 2005 से पहले किए गए गंभीर अपराधों और आतंकी गतिविधियों के लिए क्षमा दान का कोई प्रावधान नहीं है। इस अवधि के जो भी दोषी जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि जेल में बंद पीकेके प्रमुख अब्दुल्ला ओकलान को इस कानून से कोई राहत नहीं मिलेगी और उन्हें अपनी शेष जिंदगी जेल में ही बितानी होगी। इसके अतिरिक्त उत्तरी इराक में सक्रिय संगठन के शीर्ष नेताओं को भी इस कानून का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

गौरतलब है कि वर्ष 1978 में गठित हुआ पीकेके पिछले 42 वर्षों से तुर्किये सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। जेल में बंद पीकेके प्रमुख अब्दुल्ला ओकलान की अपील के बाद संगठन ने यह घोषणा की थी कि वे अपने सशस्त्र विंग को भंग कर रहे हैं और सरकार के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। दशकों से पीकेके तुर्किये सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इस समय कुर्द कम से कम चार देशों में रह रहे हैं, जिनमें तुर्किये, सीरिया, इराक और ईरान शामिल हैं। कुर्दों का आरोप है कि उस्मानी साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनकी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्हें कई देशों में बांट दिया था ताकि वे भविष्य में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा विद्रोह न कर सकें। वर्ष 1984 में कुर्द लड़ाकों ने रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) की सहायता से तुर्किये सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की।

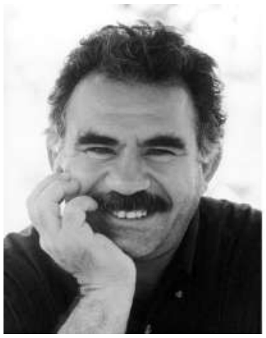

एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में कुर्दों की जनसंख्या लगभग चार करोड़ है। इन्हें अरबों, ईरानियों और तुर्कों के बाद पश्चिम एशिया का चौथा सबसे बड़ा जातीय समूह माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से उनके पास अब तक अपना कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। हालांकि, पिछले 80 वर्षों में उन्होंने कई बार अपना स्वतंत्र देश स्थापित करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। कुर्द तुर्किये की कुल जनसंख्या का लगभग 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा हैं। वर्ष 1920 और 1930 के दशक में तुर्किये के तत्कालीन शासकों ने कुर्दों की विशिष्ट पहचान मिटाने के लिए उन पर कुर्दिश नाम रखने, अपनी पारंपरिक पोषाक पहनने और कुर्दिश भाषा बोलने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। धार्मिक दृष्टि से अधिकांश कुर्द सुन्नी मुसलमान हैं।

कुर्दों का यह भी तर्क है कि आधुनिक तुर्किये के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने एक एकीकृत तुर्क राष्ट्र बनाने की नीति के तहत ब्रिटेन के इशारे पर कुर्दों के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान शुरू किया था, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान संकट में आ गई। साल 1978 में अब्दुल्ला ओकलान ने सोवियत संघ के सहयोग से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) की स्थापना की और बाद में विदेशी हथियारों के दम पर तुर्किये सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक इस संघर्ष में कम से कम 40 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

वर्ष 1990 के दशक में तुर्किये सरकार की सख्त सैन्य कार्रवाई और अमेरिका के कड़े विरोध के कारण पीकेके को एक स्वतंत्र देश की मांग से पीछे हटना पड़ा। साल 2016 में पीकेके की सैन्य विंग के प्रमुख जमील बायिक ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया था कि वे तुर्किये का विभाजन नहीं चाहते, बल्कि देश की सीमाओं के भीतर ही शांतिपूर्वक अपने अधिकार चाहते हैं। दूसरी ओर, तुर्किये सरकार का हमेशा से यह रुख रहा है कि पीकेके नेताओं के ऐसे बयान केवल उनकी युद्ध रणनीति का एक हिस्सा होते हैं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस कानून के लागू होने के बाद क्षेत्र में दशकों पुराने हिंसक संघर्ष के अंत की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। हालांकि, पीकेके की कार्यकारी समिति ने तुर्किये सरकार से मांग की है कि वह संगठन के 78 वर्षीय प्रमुख अब्दुल्ला ओकलान को भी रिहा करे। अब्दुल्ला ओकलान पिछले 27 वर्षों से तुर्किये के एक द्वीप में कैद हैं।

ईरानी सेना का पुनर्गठन

उर्दू टाइम्स (12 अगस्त) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ईरानी सेना का पुनर्गठन किया है, जिसके तहत सैन्य कमान के छह शीर्ष पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी 'मेहर न्यूज' के मुताबिक इस बड़े फेरबदल में मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरानी सशस्त्र बलों का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है, जबकि ब्रिगेडियर जनरल किउमर्स हैदरी को डिप्टी

चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) का नया कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया है और मेजर जनरल मुस्तफा इजादी को आईआरजीसी का डिप्टी कमांडर नियुक्त किया गया है। रियर एडमिरल अली अजमई को आईआरजीसी की नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। वे पूर्व कमांडर अली रेजा तंगसिरी का स्थान लेंगे, जिनकी पिछले दिनों इजरायली हवाई हमले में मृत्यु हो गई थी।

दूसरी ओर, हुसैन ताएब को आईआरजीसी की बासिज फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी के उत्तराधिकारी होंगे, जिनकी पिछले दिनों अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में मृत्यु हो गई थी। इस पूरे फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति मोहसिन रेजाई की हुई है। रेजाई आईआरजीसी के कमांडर-इन-चीफ रह चुके हैं और अब उन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का सबसे भरोसेमंद और करीबी व्यक्ति माना जाता है।

गौरतलब है कि मोहसिन रेजाई को अमेरिका के साथ समझौतों या वार्ता का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। वे कई मौकों पर अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली समझौता वार्ताओं का खुलकर विरोध कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति इस बात का साफ संकेत है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मोर्चे पर बेहद सख्त रुख अपनाना चाहते हैं। इस बड़े बदलाव से यह भी संकेत मिलता है कि ईरान की सरकार और सेना में अब उस कट्टरपंथी गुट का वर्चस्व हो गया है, जो अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ है। इस महत्वपूर्ण बदलाव को ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की स्थिति के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, जिनकी गिनती ईरान के उदारवादी नेताओं में होती है।

लेबनान में मौत की सजा खत्म

उर्दू टाइम्स (13 अगस्त) के अनुसार लेबनान की संसद ने देश में मौत की सजा को पूरी तरह समाप्त करने वाले ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही लेबनान मृत्युदंड को कानूनी तौर पर खत्म करने वाला पश्चिम एशिया का पहला देश बन गया है। नए कानून के प्रावधानों के तहत अब मौत की सजा के स्थान पर उम्रकैद की व्यवस्था की गई है। संसद में यह विधेयक पारित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए लेबनान के न्याय मंत्री आदेल नासर ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि अपराधों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में किसी भी प्रकार की नरमी आई है।

मानवाधिक संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' के अनुसार इस समय लेबनान की जेलों में 85

ऐसे कैदी बंद हैं, जिन्हें अदालत से मौत की सजा मिल चुकी थी और वे अपनी फांसी का इंतजार कर रहे थे। इस नए कानून के लागू होने से अब उन सभी कैदियों की जान बच गई है। उल्लेखनीय है कि लेबनान में आखिरी बार 17 जनवरी 2004 को किसी अपराधी को फांसी पर लटकाया गया था। यूरोपीय यूनियन के विदेश मामलों की प्रतिनिधि काजा कल्लास ने लेबनान सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया के अन्य देशों को भी लेबनान के इस फैसले का अनुसरण करना चाहिए।

उमराह यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि

एतेमाद (5 अगस्त) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने पिछले वर्ष के हज और उमराह के आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में उमराह करने वाले लोगों की संख्या में 114 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में एक करोड़ 95 लाख विदेशी नागरिक सऊदी अरब पहुंचे थे। इनमें से एक करोड़ 80 लाख 30 हजार लोगों ने उमराह किया, जबकि 15 लाख लोगों ने हज यात्रा में भाग लिया। इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष सबसे ज्यादा पाकिस्तान के नागरिकों ने उमराह किया, जबकि इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर और मिस्र तीसरे स्थान पर रहा। इस साल पैगंबर-ए-इस्लाम के रौजे (कब्र) पर एक करोड़ 60 लाख लोगों ने हाजिरी दी। पूरे साल में कुल डेढ़ करोड़ वीजा जारी किए गए, जिनमें से 85 प्रतिशत वीजा केवल उमराह करने वाले यात्रियों के लिए थे।

सऊदी सरकार ने अगले वर्ष के लिए अभी से ही हज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आशा है कि अगले साल 20 लाख से अधिक लोग हज के लिए सऊदी अरब आएंगे।

RNI No. DELHIN/2017/72722

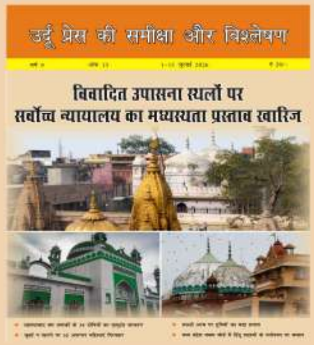

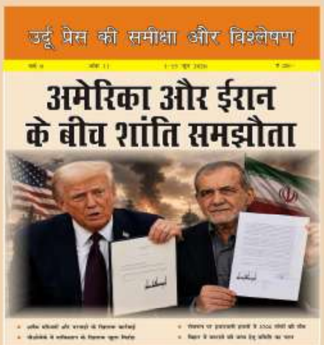

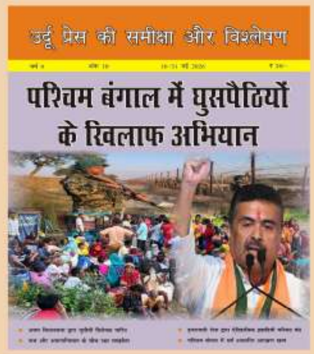

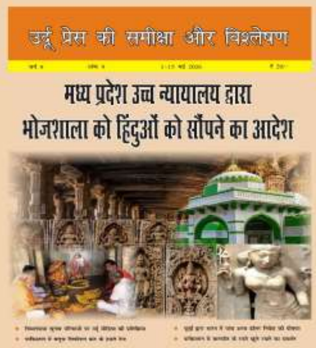

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in